3184

FL 23/12/17

यातायात निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रांक:डीजी–याता0–125/2017

दिनांक: दिसम्बर 20,2017

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड।

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
22 DEC 2017
उत्तराखण्ड लो० नि० वि० देहरादून

2816

कृपया अवगत कराना है कि दिनांक 30.11.2017 को परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में परिवहन आयुक्त, कार्यालय में आहूत सड़क सुरक्षा समिति की लीड एजेन्सी की गोष्ठी में राज्य के चौराहों/सड़को पर धूमिल पड़ चुकी जेब्रा क्रासिंग, स्टॉप लाईन तथा रोड मार्किंग को पुनः पेंट करवाने तथा यातायात की दृष्टि से संवेदनशील प्रमुख मार्गों पर डिवाईर व स्पीड ब्रेकरों का निर्माण किये जाने हेतु 07 दिवस की अवधि निर्धारित करते हुए कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नही हो पायी है।

दिनांक 19.12.2017 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित वीडियो कान्फ्रेन्स में भी सड़क सुरक्षा एवं सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु अपनाये जाने वाले उपायों के सम्बन्ध में चर्चा के उपरान्त मुख्य सचिव महोदय द्वारा चौराहों/सड़को पर धूमिल पड़ चुकी जेब्राक्रासिंग, स्टॉप लाईन तथा रोड मार्किंग को पुनः पेंट करवाने तथा यातायात की दृष्टि से संवेदनशील प्रमुख मार्गों पर डिवाईर व स्पीड ब्रेकरों का निर्माण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः अनुरोध है कि कृपया उक्त गोष्ठियों में हुई चर्चा के उपरान्त निर्गत निर्देशों के अनुपालन में 10 दिवस की समयावधि में राज्य के चौराहों/मार्गों पर धूमिल पड़ चुकी जेब्रा क्रासिंग, स्टॉप लाईन तथा रोड मार्किंग को पुनः पेंट करवाने तथा यातायात की दृष्टि से संवेदनशील प्रमुख मार्गों पर डिवाईर व स्पीड ब्रेकरों का निर्माण कराने का कष्ट करें, ऐसा न होने की स्थिति इनके अभाव में यदि कोई सडक दुर्घटना घटित होती है तो आपके विभाग के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

20-12

(केवल खुराना)
प्रभारी निदेशक, यातायात
उत्तराखण्ड।

पृ० सं० /76 याता०कैं/17 दिनांक: /12/2017

प्रतिलिपि – समस्त मुख्य अभियन्ताओं को इस आशय के साथ प्रेषित है कि प्रकरण पर तत्काल यथोचित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि:- नोडल अधिकारी अधीक्षण अभियन्ता 09 वां वृत्त लो०नि०वि० देहरादून को उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियन्ता स्तर-I (मु०)
लो०नि०वि०, देहरादून।

1066
26-12-17